प्रारुप–30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector **Nainital**

No--- Dated----- 23-06-2015

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **4.860** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **P.W.D. Provincial Division Nainital** (name of user agency) for **Construction of Devidhura to Dhapla Motor Road under S.C.P** (purpose for diversion of forest land) in **Nainital** district falls within jurisdiction of **Dhapla** village (s) in **Nainital** tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **4.860** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **30.1** to **30.4** annexure.

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

जिला समाज कल्याण अधिकारी
नैनीताल

जिलाधिकारी
नैनीताल

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR

DISTRICT Nainital (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Nainital** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. **Deepak Rawat** I.A.S **District Magistrate** on dated 23-06-2015 at time 11:45 AM at ..... in which application claiming rights in **Nainital** area measuring **4.860** hect for the construction of **Construction of Devidhura to Dhapla Motor Road under S.C.P.** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub devision level committee of **Nainital** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Nainital

Dated: 23-06-2015

DISTRICT COLLECTOR
District Level Committee
Nainital

जिला समाज कल्याण अधिकारी
नैनीताल

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

प्रपत्र – 30.1

परियोजना का नाम :– जनपद नैनीताल में एस0सी0पी0 के अन्तर्गत देवीधुरा से धापला मोटर मार्ग का नव निर्माण।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

विधान सभा याचिकाओं के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में एस0सी0पी0 के अन्तर्गत देवीधुरा से धापला मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु **4.860** है0 वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति, नैनीताल तथा सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण–पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व आदिवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
नैनीताल

जिलाधिकारी
नैनीताल

परियोजना के निर्माण हेतु 4.860 हे0 वनभूमि लोक निर्माण विभाग HTL प्रयोक्ता एजेंसी को जनहित में सक्षम प्राधिकरी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष,
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति,
तहसील—
जनपद— नैनीताल

प्रतिलिपि— जिलाधिकारी, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष,
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति,
तहसील—
जनपद— नैनीताल।

परियोजना का नाम—

(53)

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :–

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम – धापला

तहसील नैनीताल, जिला नैनीताल।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत एस.सी.पी. ..... धोबीघाट ..... मोटर मार्ग निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 4.77 हे0 आरक्षित वन भूमि, सिविल सोयम भूमि 0.090 हे0, वन पंचायत भूमि — हे0) अर्थात कुल 4.860 हे0 वन भूमि का — लो0 नि0 वि0 विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत धापला द्वारा दिनांक 31-10-2014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई, यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधाानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागमत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम धापला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि .... हे0 प्रयोक्ता एजेंसी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ह0/–
ग्राम सचिव 31-10-2014
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
धापला .....
(नैनीताल)

ह0 प्रधान
ग्राम पंचायत धापला
विकास खण्ड भीमताल
31-10-2014

नोट– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रतत्र प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रपत्र–23.1

दिनांक 31-10-2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत.......[illegible].......

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित ग्राम वासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1)	Girish Chandra Joshi	[illegible]
(2)	पद्मा दत्त जोशी	पद्मादत्त
(3)	बाला दत्त जोशी	बालादत्त जोशी
(4)	मदन मोहन	[illegible]
(5)	लक्ष्मी दत्त	लक्ष्मीदत्त जोशी
(6)	देवकी देवी	
7	नवीन जोशी	N.C. Joshi
(8)	तारा जोशी	Joshi
(9)	C.S.	C.S[illegible]
(10)	शान्ति देवी	शान्ती देवी
(11)	राजेन्द्र [illegible] पन्त	[illegible]
(12)	[illegible]	P.C.P.
(13)	[illegible] चन्द्र जोशी	D.C.J.
(14)	मोहित पन्त	Mohit Pant
(15)	[illegible] नन्द पन्त	रव[illegible] नन्द
(16)	मदन मोहन पन्त	मदन मोहन[illegible]
(17)	लक्ष्मी दत्त	लक्ष्मी दत्त

[illegible] देवी

प्रधान
ग्राम पचायत [illegible]
विकास खण्ड भीमताल
31-10-2014

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम–

कार्यालय उप जिलाधिकारी,

51

(4)

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम–

कार्यालय उप जिलाधिकारी,
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति......नैनीताल......

उपखण्ड ...नैनीताल... परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के अन्तर्गत ...एस.सी.पी. के अन्तर्गत चौधुरा से धापला मोटर मार्ग नव निर्माण... 4.77 हे0 आरक्षित वन भूमि 0.09 हे0 सिविल एवं सोयम वनभूमि, वन पंचायत भूमि.....— हे0 अर्थात कुल 4.860 हे0 वन भूमि) का ....प्रयोक्त एजेंसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति(तहसील...नैनीताल...) की दिनांक 18/11/14 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री...........................उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री.............................उपजिलाधिकारी.............................अध्यक्ष
2. श्री यू.सी. तिवारी.........उप प्रभागीय वनाधिकारी......नैनीताल......सदस्य
3. श्री मुहम्मद ......सहायक समाज कल्याण अधिकारी......सदस्य/सचिव
4. श्री......हेमा देवी......बी.डी.सी क्षेत्र......धापला......सदस्य हेमा देवी

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद नैनीताल के अन्तर्गत...एस.सी.पी. के अन्तर्गत चौधुरा से धापला मोटर मार्ग नव निर्माण......4.860.........हे0 वन भूमि......लोक निर्माण वि. नैनीताल......
प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्र्तत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त वनभूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग नैनीताल द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण के उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड नैनीताल परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के अन्तर्गत...

क्रमशः 2पर